प्रेषक,

गीता सिंह
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट, कक्ष संख्या–1 कन्नौज।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
जनपद कन्नौज।

पत्रांक संख्या– कन्नौज/ दिनांक–

विषय– शासनादेश सं–08/2018/279/दो–4–2018–45(12)/91 टी.सी. दिनांकित 13.04.2018 के आलोक में आवेदिका के एल.एल.एम. उपाधि के धारक होने के आधार पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि मेरी नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के विज्ञप्ति संख्या–3298/Admin.(Services)/2019.Dated August 26,2019 के अनुपालन में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट, कन्नौज के पद पर हुयी है जिसका पदभार मेरे द्वारा दिनांक 27.08.2019 को ग्रहण कर लिया गया है। मेरे द्वारा महात्मा ज्योतिबाफुले रोहिलखण्ड विश्व विद्यालय से वर्ष 2010 में एल.एल.एम. की उपाधि प्राप्त की गयी है, जो कि मेरे सेवा में आने से पूर्व प्राप्त की गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु एल.एल.एम.उपाधि एवं अंक पत्र वर्ष 2010 की छाया प्रति संलग्न की जा रही है।

महोदय शासनादेश सं–08/2018/279/दो–4–2018–45(12)/ 91टी.सी. दिनांकित 13.04.2018 के अनुसार ऐसे न्यायिक आधिकारी जो सेवा में आने के पूर्व एल.एल.एम. की उपाधि रखते है, उन्हें सेवा में आने के दिनांक अथवा शासनादेश लागू होने के दिनांक से जो भी लागू हो अथवा न्यायिक अधिकारी जो सेवा में आने के उपरान्त एल.एल.एम. की उपाधि प्राप्त कर लेते है उन्हे उपाधि प्राप्त करने की दिनांक से तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धियाॅ प्रदान की जाती है।

अतः महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार मुझे एल.एल.एम. उपाधि धारक होने के आधार पर उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के तिथि 27.08.2019 से तीन अतिरिक्त वेतनवृद्धियाॅ प्रदान किये जाने हेतु मेरा प्रतिवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कृपा करें।

सादर

भवदीय,

कार्यालय जनपद न्यायाधीश
पत्रांक 222/XV दिनांक 22.01.2020
अग्रसारित
22-01-2020
जनपद न्यायाधीश
कन्नौज

दिनांक 22.01.2020

Geeta Singh
(गीता सिंह) 22.01.2020
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट, कक्ष संख्या–1 कन्नौज।

संलग्नकः

1– कार्यभार ग्रहण करने का प्रमणण पत्र की छायाप्रति
2–एल.एल.एम उपाधि एवं अंकपत्र की छायाप्रति
3–शासनादेशसं–08/2018/279/दो–4–2018–45(12)/91टी.सी. दिनांकित 13.04.2018 की छायाप्रति